यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन

बनाम

भारत संघ वगैरह

4 मई, 1989

(आर०एस० पाठक, मुख्य न्यायमूर्ति, ई०एस० वेंकटरमैया, रंगनाथ मिश्रा, एम०एन० वेंकटचलैया और एन०डी० ओझा, अन्य न्यायमूर्तिगण)

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का पंजीकरण एवं कार्यवाही) अधिनियम, 1985: न्यायालय ने 14 फरवरी 1989 को पारित समग्र निपटान आदेश के कारण दर्शित करते हुए- पीडितों को तत्काल राहत सुनिश्चित करना न्यायिक एवं मानवीय दोनों पक्षों का बाध्यकारणीय कर्तव्य।

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी जो अपीलार्थी के कारखाने से 2 दिसम्बर, 1984 की मध्यरात्रि को घातक रासायनिक धुएं के निकलने से हुई तथा यह एक बडी आैद्योगिक आपदा थी और इसने तत्काल 2600 लोगों की जान ले ली और भोपाल के दसयों-हजारों निर्दोष नागरिकों को विभिन्न तरीकों से शारीरिक रूप से प्रभावित किया। भारत संघ द्वारा अपनी संशोधित याचिका में दिए गए आंकडों के अनुसार, उक्त आपदा के परिणामस्वरूप 30,000 से 40,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए आैर 2,660 लोगों की अत्यन्त पीडादायी व दर्दनाक मौत हुई।

आपदा के शिकार हुए लोगों के लिए क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की कानूनी कार्यवाही बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरूद्ध सर्वप्रथम अमेरिकी न्यायालय में एवं बाद में भोपाल के जिला न्यायालय में मुकदमा नं० 1986 के 113 में प्रारम्भ की गई। वर्तमान अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4 अप्रेल, 1988 को पारित आदेश से संबंधित है, जिसमें उसने जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.12.1987 को पारित अन्तर्वर्ती आदेश को संशोधित करते हुए रूपये 250 करोड के अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया। भारत संघ एवं यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन दोनों ने उस आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की है।

न्यायालय ने इन अपीलों में दिनांक 14 फरवरी, 1989 को आदेश देते हुए निर्देश दिया कि वाद में समस्त दावों का समग्र निपटान 47 करोड अमेरिकी डॉलर में करते हुए समस्त दीवानी एवं आपराधिक कार्यवाहियों का अंत किया जावेगा। दिनांक 4 मई, 1989 को न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.02.1989 के कारणों का इस प्रकार वर्णन करते हुए व्याख्या की:

कारणों का वर्णन निर्णय की अस्पष्टता की संभावना को देखते हुए किसी निश्चयता की भावना से नहीं किया जा रहा है: परन्तु संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत किसी भी पुनर्विचार याचिका में मजबूती से और बाध्यकारी

विधिक या तथ्यात्मक अवरोध को विवेचित करने में सक्षम होने के लिए खुले दिमाग से किया जा रहा है। (132 सी से डी)

यूनियन कार्बाइड बनाम भारत संघ 129 समझौते के निष्कर्ष को प्रेरित करने वाला बुनियादी विचार तत्काल राहत की बाध्यकारी आवश्यकता थी। विधिक सिद्धान्तों की उत्कृष्टता एवं बारिकियां पर एक बडी संख्या में मौजूद पीडितों की उत्तरजीविता बहुत बडा सवाल था। (133 ए, सी)

हस्तगत मामला ऐसा है जहाँ क्षतिपूर्ति की मांग सामूहिक आपदा के पीडितों की ओर से की गई हैं और इसमें निहित कानूनी प्रश्नों एवं पेचिदगियों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी निष्पक्ष दृष्टि वाला व्यक्ति पहले भारत में और बाद में अमेरिका के विभिन्न न्यायालयों में वाद कार्यवाही की यात्रा में विराम और समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं कर सकता। इस न्यायालय ने पीडितों को तत्काल राहत सुनिश्चित करना, न्यायिक एवं मानवीय दोनों प्रकार से अनिवार्य कर्तव्य माना है एवं ऐसा करने में, न्यायालय द्वारा किसी भी निषिद्ध आधार का अवलम्बन नहीं लिया गया है। इस न्यायालय द्वारा वही किया गया है जो कि पहले से ही शुरू किये गये की निरंतरता में हैं। (133 ई-एफ, एच; 134 ए)

इसलिए न्यायालय के लिए आंकडों के बारे में चुनाव की सीमा, श्री नरीमन द्वारा प्रस्तावित ज्यादा से ज्यादा 42.6 करोड अमेरिकी डाॅलर एवं अटोर्नी जनरल द्वारा सुझाई गई कम से कम 50 करोड अमेरिकी डाॅलर के बीच रही। (134 एफ-जी)

समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में अन्तर्निहित देरी की सम्भावना एवं बाद में निष्पादन के उद्धेश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में डिक्री के घरेलूकरण को सम्मिलित करते हुए, न्यायालय ने अटोर्नी जनरल द्वारा सुझाये गये 47 करोड अमेरिकी डाॅलर जो कि तत्काल भुगतान किये जाने, जिसमें दावेदारों के बीच वास्तविक वितरण लंबित रहने की उचित अवधि के ब्याज को भी जोडते हुए कुलिया राशि करीब 50 करोड अमेरिकी डॉलर या भारतीय मुद्रा में इसके बराबर करीब 750 करोड रूपये की राशि को समझौते का आधार बनाने हेतु निर्देशित किया। (134 जी-एच; 135 ए-बी)

समझौते के प्रस्ताव पर इस परिदृश्य में विचार किया गया कि सरकार के पास पीडितों का प्रतिनिधित्व करने एवं उनकी ओर से कार्य करने का अनन्य वैधानिक अधिकार है एवं किसी भी अधिवक्ता को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। आदेश इस आधार पर भी दिया गया कि भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावे का पंजीकरण एवं कार्यवाही) अधिनियम 1985 एक वैध कानून था। (135 बी-सी)

यहां विधि की व्याख्या या नीतिगत प्रश्न या यहाँ तक भी कि, उचित क्या है या क्या अनुचित, इस पर अलग-अलग राय हो सकती हैं; परन्तु जब भी कोई सत्य और न्याय की बात करेगा तब इन शब्दों का उन सभी के लिए वही अर्थ होगा जिनका निर्णय निष्पक्ष होगा।

(140 बी-सी)

दसियों हजारों भुगत रहे पीडितों को तत्काल राहत की आवश्यकता की मजबूरियां उक्त प्रश्नों का, यद्यपि वे महत्वपूर्ण है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत हल हो जाने तक इंतजार नहीं कर सकती। (142 डी-ई)

यह समझौता तात्विक बातों एवं उन परिस्थितियों में लेखबद्ध किया गया जिसने न्यायालय को विश्वास दिलाया कि यह एक न्यायसंगत समझौता है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय किसी महत्वपूर्ण सामग्री या बाध्यकारी परिस्थितियों, जो कि उस पर पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग करने का कर्तव्य अधिरोपित करता हो, उसे बंद कर देगा। अन्य सभी मानव संस्थानों की भांति, यह न्यायालय भी सजीव है एवं मानवीय दोष करने की संभावना रखता है। न्यायालय को, उस विशिष्ट संदर्भ और परिस्थिति में, जो भी युक्तियुक्त और न्यायसंगत प्रतीत हुआ, यह आवश्यक नहीं है कि दूसरों को भी वह वैसा ही लगे। अंतिम विश्लेषण के रूप में, कौनसा दृष्टिकोण सही है, इसका निर्धारण इस बात से किया जाना चाहिए कि इस देश के हजारों निर्दोष नागरिकों की अनुचित पीडा को दूर करने के लिए यह क्या कर सकता है। (142 एफ-जी)

अदालती निर्णय को आंदोलनकारी दबावों से तय नहीं किया जा सकता या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि कोई निर्णय गलत है, तो सुधार की प्रक्रिया को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से होना चाहिए। उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने विधिनुसार सुधार की प्रक्रिया का आव्हान किया हो, सुना जायेगा तथा न्यायालय वही करेगा जो कि विधि एवं न्याय की प्रक्रिया के अनुरूप होगा। यह मामला बडी तादाद में मौजूद त्रासदी के पीडितों के हितों से जुडा हुआ है। इस न्यायालय ने एक सच्ची आशा के साथ इस समझाैते हेतु निर्देशित कि यह उन लोगों की भलाई के लिए आैर तुरन्त राहत पहुंचाने वाला होगा, जिनमें से कईयों के लिए आने वाला कल एक बहुत बडी देरी के समान होगा। लेकिन यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं उसमें जनता के विश्वास को समान रूप से प्रभावित करता है। (143 बी, डी-ई)

जो लोग इस न्यायालय पर भरोसा करते हैं, उनके लिए यह निराशा का कोई कारण नहीं होगा। (143 एफ)

सन्दर्भ लिया गया - एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ, **ए०आई०आर० 1987 सुप्रीमकोर्ट 1086**; थ्योरिज ऑफ कम्पन्सेशन, **आर०ई० गुडिन:**

ऑक्सफोर्ड जर्नल ऑफ लीगल स्टेडिज, 1989 पेज-57 तथा वाॅलेस मेन्डेलसन: सुप्रीम कोर्ट शासनकला - द रूल ऑफ लॉ एण्ड मेन।

दीवानी अपील क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील सं० 3187 व 3188 वर्ष 1988 - मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सी०आर० संख्या 26/1988 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 4.4.1988 से व्यथित होकर

अनिल बी. दीवान, जे.बी. दादाचन्दजी, श्रीमती ए.के. वर्मा अपीलार्थी की ओर से।

के. पारासरन, ए. मरियार्पुथम, सुश्री ए. सुभाशिनी तथा सी.एल. साहू प्रत्यर्थीगण की ओर से।

यूनियन कार्बाइड बनाम भारत संघ 131 न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गयाः

<u>आदेश</u>

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी जो कि 2 दिसम्बर, 1984 की मध्य रात्री को अपीलार्थी के कीटनाशक कारखाने से घातक रासायनिक धुएं के निकलने से घटित हुई एवं उक्त त्रासदी एक भयानक आैद्योगिक आपदा थी जो कि परिमाण एवं तबाही में बहुत विकराल होकर अपने-आपमें खतरनाक प्रौद्योगिकी के अमानवीय प्रभाव का एक भयानक स्मारक बनकर रहेगी। इस त्रासदी ने 2,600 लोगों की तत्काल जान ले ली तथा भोपाल के दसियों हजारों निर्दोष नागरिकों को शारीरिक रूप से विकलांग किया या अन्य रूप से प्रभावित किया। इस त्रासदी में गंभीर मार्मिकता जिस बात ने जोडी, वह यह थी कि यह आैद्योगिक उद्यम मिथाइल आईसो-सायनेट, जो कि एक घातक विषाक्त जहर हैं, प्रयोग ले रहा था, जिसकी जीवन आैर जैविक समुदाय के विनाश की क्षमता जाहिरा तौर पर किसी भी दुर्घटना के प्रभावों को तत्काल बेअसर करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित सुधारात्मक चिकित्सा प्रक्रिया एवं राहत प्रक्रिया की पूर्व तैयारी की कमी से मेल खाती थी।

यहाँ वर्तमान उद्धेश्य के लिए कुछ हद तक बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ मुआवजे की वसूली के लिए पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों में और बाद में भोपाल के जिला न्यायालय के वाद सं० 113/1986 में शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की घुमावदार प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख करना अनावश्यक हैं। यहाँ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 04 अप्रेल, 1988 के उस आदेश का उल्लेख करना पर्याप्त होगा जिसमें विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 को दिए गए अन्तर्वर्ती आदेश में परिवर्तन करते हुए उसने 250 करोड रूपये के अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया। भारत

संघ एवं यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन दोनों की ओर से उक्त आदेश की अपील की गई।

इस न्यायालय ने उक्त अपीलों में अपने आदेश दिनांक 14 फरवरी, 1989 से यह निर्देशित किया कि मुकदमे में समस्त दावों का समग्र निपटारा 47 करोड अमेरिकी डॉलर में कर सभी दीवानी आैर आपराधिक कार्यवाहियों काे समाप्त किया जावे। आदेश के शुरूआती शब्दों में कहा गया है कि :

> "कई दिनों तक इस कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के अभिवचनों, हमारे समक्ष वृहद स्तर पर पेश आंकडों, संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतों की कार्यवाहियों से संबंधित सामग्रियों, विभिन्न कार्यवाहियों के अलग-अलग स्तर पर पक्षकारों के बीच बने प्रस्तावों एवं जवाबी-प्रस्तावों, साथ ही हमारे समक्ष उठाये गये तथ्यों एवं विधि के जटिल मुद्दों एवं उनके समर्थन में प्रस्तुत तर्कों एवं विशिष्ट रूप से भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न मानवीय पीडा की भयावहता आैर आपदा के पीडितों को तत्काल एवं पर्याप्त राहत प्रदान करने की अत्यावश्यकता पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमारा मत यह है कि यह मामला पक्षकारों के बीच आपदा से उत्पन्न एवं जुडे हुये सभी मुकदमेबाजी, दावों, अधिकारों एवं कर्तव्यों को सम्मिलित करते हुये एक समग्र समझौते का श्रेष्ठ उदाहरण है.....।"
>
> (जोर दिया गया)

हमें यह प्रतीत होता है कि वे कारण जिन्होंने इस न्यायालय को समझौते का आदेश देने के लिए प्रेरित किया उन्हें दर्शित किया जाना चाहिये ताकि जिन लोगों ने पुनर्विचार की मांग की हैं, वे न्यायालय की पुनर्विचार की प्रार्थना के संबंध में संतोषजनक निपटारे में सहायता कर सके।

कारणों का वर्णन निर्णय की अस्पष्टता की संभावना को देखते हुए किसी निश्चयता की भावना से नहीं किया जा रहा है : परन्तु संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत किसी भी पुनर्विचार याचिका में मजबूती से आैर बाध्यकारी विधिक या तथ्यात्मक अवरोध को विवेचित करने में सक्षम होने के लिए खुले दिमाग से किया जा रहा है।

वे बिन्दु जिनके संबंध में हम संक्षिप्त कारण आगे रखना चाहते हैं, वे निम्नलिखित हैः-

(ए) कैसे यह न्यायालय समग्र निपटारे के लिये 47 करोड अमेरिकी डाॅलर की राशि पर पहुंचा?

(बी) क्यों यह न्यायालय 47 करोड अमेरिकी डाॅलर की राशि को उचित, न्यायसंगत आैर युक्तियुक्त समझता है?
(सी) क्यों न्यायालय ने तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में अपने आपमें खतरनाक तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली विशाल और आर्थिक रूप से मजबूत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दायित्व संबंधी दूरगामी महत्व के महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों, जो कि अपीलों में उठाये जा सकते हैं, के संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया - जो प्रश्न तीसरी दुनिया की लोकतंत्रशाही के बडे समकालीन प्रासंगिकता का है?

पुनर्विचार का एक अन्य पहलू यह भी है जो कि समझौते के भाग के रूप में आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त करने से संबंधित है। इस बिन्दु पर पुनर्विचार याचिका में प्रथम दृष्टया एवं गुणावगुण पर विचार का प्रश्न उठाया गया हैं और इसलिए हम ऐसा कुछ भी कहने से बचना चाहेंगे जो इस मुद्दे को किसी न किसी तरह से पूर्व निर्णित करने की प्रवृत्ति रखता हो। समझौते के निष्कर्ष पर किसी भी प्रकार से पहुंचना तत्काल राहत की बाध्यकारी परिस्थितियों का बुनियादी विचार रहा हैं। पीडितों की पीडा तीव्र और असहनीय रही हैं। एक सीधे और ईमानदार जीवन के लिए अपने-अपने व्यवसायों को करने वाले हजारों लोग इस भयानक आपदा से बेसहारा हो गये। चार साल की मुकदमेबाजी के बाद भी, यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन के दायित्व और नुकसान की मात्रा के बारे में कानून के बुनियादी प्रश्नों पर अभी भी बहस जारी हैं। बेशक, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें निर्णित करने की आवश्यकता हैं। लेकिन, जब हमारों निर्दोष नागरिक लगभग बेसहारा परिस्थितियों में हो तथा भोजन और दवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओ के बिना और आने वाला हर पल मृत्यु की आशंका आैर निरंतर पीडा से गुजर रहा हो, तब अगर राहत के तत्काल स्त्रोतों की सम्भावना नहीं खोजी गई तो यह एक हृदयहीन अनदेखी होगी। विधिक सिद्धान्तों की उत्कृष्टता और बारीकियो पर बडी संख्या में मौजूद पीडितों की उत्तरजीविता पर एक बहुत बडा सवाल रहा है।

कानून में देरी की कहावत वास्तव में चरितार्थ हुई है। न्यायिक प्रक्रिया का यह दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप रहा है कि सामान्य मामलों में भी, जहाँ साक्ष्य में कुछ दस्तावेज आैर कुछ गवाहों की मौखिक साक्ष्य होती हैं, वहां भी मुकदमेबाजी का फल प्राप्त करने में कुछ वर्ष लग जाते हैं। एेसा ही आश्रितों द्वारा लाई गई इन घातक दुर्घटना कार्यवाहियों जैसी बडी आैर निर्विवादित तात्कालिकता के मामले में भी हो रहा है। यह एक कड़वी सच्चाई हैं। हस्तगत मामला ऐसा है जहां क्षतिपूर्ति की मांग सामूहिक आपदा के पीडितों की ओर से की गई हैं और इसमें निहित कानूनी प्रश्नों एवं पेचिदगियों को मद्देनजर

रखते हुए कोई भी निष्पक्ष दृष्टि वाला व्यक्ति पहले भारत में और बाद में अमेरिका के विभिन्न न्यायालयों में वाद कार्यवाही की यात्रा में विराम और समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं कर सकता।

यह वास्तव में एक राष्ट्रीय आत्मचिंतन का विषय है, जहां बडी संख्या में गरीब और असहाय व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली बडी त्रासदी की प्रतिक्रिया में जनता ने खुद को केवल औद्योगिक उपक्रम के खिलाफ एक समझ में आ सकने वाले गुस्से की अभिव्यक्ति तक ही सीमित कर दिया परन्तु मुकदमे में अंतिम निर्णय होने तक पीडितों को और अधिक संकट न हो, उस खातिर खुद को किसी जनता द्वारा समर्थित राहत कोष की स्थापना के प्रयास में नहीं लगाया। यह सर्वविदित हैं कि हाल ही में गुजरात में पडे सूखे के दौरान जनभावना से प्रेरित व्यक्तियों के समर्पित प्रयासों ने अकाल की स्थिति में भी मवेशी सम्पदा के नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया था।

यह न्यायालय, पीडितों को तत्काल राहत मिले, ऐसा सुनिश्चित करना न्यायिक एवं मानवीय दोनों प्रकार से अनिवार्य जिम्मेदारी मानता है एवं ऐसा करने में न्यायालय द्वारा किसी भी निषिद्ध आधार का अवलम्बन नहीं लिया गया। वास्तव में, इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीश कीनन द्वारा एवं भोपाल के विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा किये गये। इस अदालत द्वारा वही किया गया है जो कि पहले से शुरू किये गये की निरंतरता में हो। यहाँ तक कि अपीलों में भी दलीलों की शुरूआत के समय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को उचित एवं न्यायसंगत समझौते पर पहुंचने की राय दी गयी थी। पुनः जब अधिवक्तागण सुनवाई की तारीख को तय कराने हेतु मिले तब भी इस सुझाव को दोहराया गया। समझौते के प्रयासों के संबंध में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण का नजरिया सकारात्मक रहा, परन्तु उन्होंने इस तरह की वार्ताओ के अपने पिछले अनुभवों के आधार पर, जैसा कि बताया गया है, अज्ञात और यहां तक कि गैरजिम्मेदाराना आलोचना चल रही है, सफलता की संभावनाओ के संबंध में कुछ हद तक बैचेनी और संदेह भी जाहिर किया। विद्वान अटोर्नी जनरल ने कहा कि यहां तक कि समझौते के सबसे सदभाविक, गंभीर एवं समर्पित प्रयासों के संबंध में भी दुर्भावना से प्रेरित आलोचना आने की संभावना रहेगी।

न्यायालय ने विद्वान अधिवक्तागण से आपसी समझौते के लिए पिछले अवसरों पर किये गये प्रस्तावों और जवाबी प्रस्तावों की विशिष्टियां उपलब्ध कराने को कहा। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने समग्र निपटारे के लिए पूर्व में रखे गये प्रस्तावों और उस दृष्टि से किसे उचित आधार माना गया उनकी विशिष्टियां प्रस्तुत की। पिछली वार्ताओ से क्या प्रगति रही उसे रेखांकन

रूप से दर्शित किया गया एवं उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड का हिस्सा बनाया गया। श्री नरीमन ने कहा कि उनका मुवक्किल अपने पहले के 35 करोड अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव पर कायम रहेगा और यह भी कहा कि उनका मुवक्किल 35 करोड अमेरिकी डॉलर की राशि पर यू०एस०ए० में प्रचलित दर से उचित ब्याज भी जोडने की पेशकश कर रहा हैं, जिससे कि यह आंकडा बढकर 42.6 करोड अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। श्री नरीमन ने कहा कि उनके मुवक्किल के हिसाब से यही राशि अधिक से अधिक हो सकती हैं। 42.6 करोड अमेरिकी डॉलर के इस प्रस्ताव के संबंध में विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 50 करोड अमेरिकी डॉलर से कम की कोई भी राशि युक्तियुक्त नहीं होगी। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने कहा कि वे यह न्यायालय पर तय करने के लिए छोडते हैं कि मुआवजे की रकम क्या होगी। इसलिए न्यायालय के लिए आंकडों के चुनाव की सीमा श्री नरीमन द्वारा प्रस्तावित ज्यादा से ज्यादा 42.6 करोड अमेरिकी डॉलर एवं विद्वान महान्यायवादी द्वारा सुझाई गई कम से कम 50 करोड अमेरिकी डॉलर के बीच की रही।

ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा राशि के परिमाण के संबंध में आधारभूत सामग्री की प्रथम दृष्टया जांच की, जो कि समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में अन्तर्निहित देरी की सम्भावना एवं बाद में निष्पादन के उद्धेश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में डिक्री के घरेलूकरण को सम्मिलित करते हुए, न्यायालय ने अटोर्नी जनरल द्वारा सुझाये गये 47 करोड अमेरिकी डॉलर जो कि तत्काल भुगतान किये जाने, जिसमें दावेदारों के बीच वास्तविक वितरण लंबित रहने की उचित अवधि के ब्याज को भी जोडते हुए कुलिया राशि करीब 50 करोड अमेरिकी डाॅलर या भारतीय मुद्रा में इसके बराबर करीब 750 करोड रूपये की राशि को समझौते का आधार बनाने हेतु निर्देशित किया। दोनों पक्षों ने इस निर्देश को स्वीकार किया। समझौते के प्रस्ताव पर इस परिदृश्य में विचार किया गया कि सरकार के पास पीडितों का प्रतिनिधित्व करने एवं उनकी ओर से कार्य करने का अनन्य वैधानिक अधिकार है एवं किसी भी अधिवक्ता को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। आदेश इस आधार पर भी दिया गया कि भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावे का पंजीकरण एवं कार्यवाही) अधिनियम 1985 एक वैध कानून था। यदि अधिनियम को लंबित कार्यवाही में इसकी वैधता को चुनौती देने पर अमान्य घोषित किया जाता है तो उस निर्णय के आलोक में 14 फरवरी, 1989 के आदेश की जांच करने की आवश्यकता रहेगी।

यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री रखी जाती है जिससे यह उचित निष्कर्ष संभव है कि

यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन ने पहले किसी भी समय 47 करोड अमेरिकी डॉलर के सीधे भुगतान से अधिक किसी भी राशि का भुगतान करने की पेशकश की थी तो यह न्यायालय सीधे ही स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षकारों को कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि क्यों नहीं दिनांक 14 फरवरी, 1989 के आदेश को अपास्त कर पक्षकारों को पुनः उसी पुरानी स्थिति में रखा जाए।

अगला सवाल यह है कि किस आधार पर इस न्यायालय ने इस राशि को उचित माना। यह इसके परिमाणीकरण से स्वतंत्र नहीं हैं, वर्तमान उद्धेश्य के लिए तर्कसंगता का विचार आवश्यक रूप से विवाद के निपटारे के संदर्भ में एक व्यापक और सामान्य अनुमान है, न कि न्याय निर्णयन के आधार पर किया गया एक सटीक मूल्यांकन। सवाल यह है कि यह एक समझौते के रूप में कितना अच्छा या युक्तियुक्त है, जो देरी व अनिश्चितताओ से बचेगा और तत्काल भुगतान का आश्वासन देगा। अनुमान, चीजों की प्रकृति के अनुसार ही, निर्णय की सटीकता को साझा नहीं कर सकता। यहां फिर से एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु में से एक प्रस्ताव और जवाबी प्रस्ताव द्वारा प्रकट की गई 42.6 करोड अमेरिकी डॉलर और 50 करोड अमेरिकी डॉलर के बीच की सीमा हैं। न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध कुछ सामग्रियों जिसमें अभिवचनों में उल्लेखित आंकडे, उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अनुमान और दलीलों के दौरान निर्दिष्ट किए गए कुछ आंकडों की भी जांच की।

अधिनियम के तहत एक बडी तादाद में दावे मौजूद है। स्थिति की नजाकत के अनुसार इस बात की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उनमें से कई बडी संख्या में या तो बिना किसी उचित आधार के हैं या अन्यथा अतिश्योक्तिपूर्ण हैं। इसलिए मृत्यु और काफी हद तक क्षतिपूर्ति योग्य व्यक्तिगत चोटों के मामलों के कुछ प्रथम दृष्टया निर्विवादित आंकडों पर आगे बढना अनुचित नहीं होगा। अस्पतालों में इलाज किए गए व्यक्तियों की संख्या का विवरण इस संबंध में एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस न्यायालय के पास वादी द्वारा स्वयं अपने अभिवचनों में प्रस्तुत गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या के आंकडों के प्रमाणिक होने पर सन्देह करने का कोई कारण मौजूद नहीं हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश और वादी के स्वयं अपने पक्ष में स्वीकार की गई स्थिति से एक युक्तियुक्त और प्रथम दृष्टया घातक मामलों की संख्या और गंभीर व्यक्तिगत चोट के मामलों का अनुमान संभव था। उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि:

> " ऐसी परिस्थितियों में, राज्य सरकार के दावा निदेशक के समक्ष दावेदारों की भीड द्वारा प्रस्तुत मृत्यु एवं निजी क्षति के कुछ

दावों के जाली होने की संभावना बहुत ही कम नजर आती है एवं वादी भारत संघ द्वारा उनकी संशोधित याचिका में प्रस्तुत आंकडों को नुकसानी के अंतरिम भुगतान की राहत हेतु सुरक्षित रूप से स्वीकार करने में भी शंका की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वादी भारत संघ द्वारा यह कहा गया है कि त्रासदी के परिणामस्वरूप कुल 2,600 लागों की दर्दनाक एवं हृदयविदारक मृत्यु का सामना करना पडा और करीब 30,000 से 40,000 लोगों को गंभीर क्षतियां कारित हुई.....।"

(जोर दिया गया)

इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि जिन मामलों को गंभीर क्षति के रूप में संदर्भित किया गया है उनमें पूर्ण स्थायी आैर अाांशिक अक्षमता की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, साथ ही उनमें विभिन्न श्रेणी के पूर्ण अस्थायी या आंशिक अस्थायी अक्षमता के मामले भी शामिल हैं। उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने में वादी भारत संघ के संशोधित अभिवचनों में वर्णित कथनों एवं दावों पर भरोसा किया गया।

फिर, अंतरिम मुआवजे की मात्रा का आंकलन करने में उच्च न्यायालय ने घातक दुर्घटनाओ से उत्पन्न दावों या मोटर वाहन अधिनियम के तहत उत्पन्न निजी क्षति के दावों में सामान्यतः अपनाये जाने वाले क्षतिपूर्ति के मानकों को नहीं अपनाया गया। यह सर्वविदित हैं कि घातक दुर्घटनाओ से उत्पन्न दावों में जहां तक बच्चों का संबंध है, तो प्रत्येक मामले में देय पारम्परिक मुआवजा राशि 15000 रूपयों से 30000 रूपयों के बीच रहती है। वर्तमान मामले में बडी संख्या में मौतें बहुत ही कम उम्र के बच्चों की हुई हैं। यहां तक कि वयस्कों के मामलों में भी, तुलनात्मक मामलों में नुकसानी के सामान्य नियम के अनुसार, मृत व्यक्तियों की तुलना में आय समूह के मामलों में सामान्यतः प्रयुक्त गुणक सिद्धान्त से नुकसानी की रकम रूपया 80,000 से रूपया 1,00,000/- के बीच कहीं रहेगी।

परन्तु उच्च न्यायालय ने, ठीक ही करते हुए, इन सामान्य मानकों को खारिज कर दिया, जो कि यदि लागू किये जाते तो घातक मामलों में देय क्षतिपूर्ति की रकम को यह कुलिया 20 करोड रूपये से भी कम तक सीमित कर देता। उच्च न्यायालय ने सोचा कि उसे **एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ एआईआर 1987 सुप्रीमकोर्ट 1086** में वर्णित व्यापक सिद्धान्त को अपनाना चाहिए। इस तरह के उच्च मानक को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि:

" जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया हैं, वाद में वर्णित अपकृत्य की प्रकृति को देखते हुए कथित अपकृत्यकारी द्वारा देय

नुकसानी की रकम को उद्यमों की क्षमता एवं अपकृत्य के प्रभाव से परस्पर सहसंबंधित होना आवश्यक है, क्योंकि एेसे प्रतिकर का निवारक प्रभाव होना चाहिए.....।"

(जोर दिया गया)

मुआवजे के इन उच्च मानकों को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय निम्नलिखित तरीके से नुकसानी का आंकलन करने के लिए आगे बढा:

" उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय में, यह मान लेना कदापि अनुचित नहीं होगा कि यदि मुकदमा आगे चलता है तो वादी भारत संघ मृत्यु आैर निजी क्षति संबंधी दावों के संबंध में कम से कम निम्नलिखित राशि का निर्णय अभिप्राप्त करेगा :

(ए) मृत्यु के प्रत्येक मामले में रूपया 2 लाख

(बी) कुलिया स्थायी अपंगता के प्रत्येक मामले में रूपया 2 लाख

(सी) स्थायी आंशिक अपंगता के प्रत्येक मामले में रूपया 1 लाख

(डी) अस्थायी आंशिक अपंगता के प्रत्येक मामले में रूपया 50 हजार। "

(जोर दिया गया)

उक्त राशियों की आधी रकम अंतरिम मुआवजे के रूप में दी गई हैं। रूपया 250 करोड की राशि प्रदान की गई।

उच्च न्यायालय द्वारा घातक मामलों और गंभीर व्यक्तिगत चोटों के मामलों में अपनाए गए आंकडों को उच्च न्यायालय के समक्ष किसी के भी द्वारा प्रश्नगत किया गया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। उच्च न्यायालय के इन आंकडों और अनुमानों का समझौते में विशेष महत्व रहा हैं। इसी प्रकार हमारे सामने यह भी विवादित नहीं रहा है कि घातक मामलों की संख्या कुलिया करीब 3,000 एवं गंभीर एवं घोर निजी क्षति के मामलों की संख्या 30,000 के करीब रही हैं जिनको कि भोपाल के अस्पताल से, जहां कि उनका ईलाज किया गया, उनसे सत्यापित करवाया जा सकता है। यह उम्मीद करना अनुचित नहीं होगा कि गंभीर और काफी हद तक क्षतिपूर्ति योग्य चोटों से पीडित व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल में गए होंगे। यह भी प्रतीत होता है कि घटना के लगभग 8 महीनों के भीतर सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ अनुग्रह राशि के भुगतान के उद्धेश्य से मृत्यु और घोर तथा गंभीर क्षति के मामलों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। ये आंकडे, जैसे कि दिखाई देते हैं, दस हजार से भी कम हैं।

इन परिस्थितियों में, एक कच्चे और तैयार अनुमान अनुसार यह न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रथम दृष्टया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये

घातक मामलों की संख्या 3,000 होने का अनुमान लगाता हैं, जहां कि मुआवजे की रकम रूपया 01 लाख से रूपया 03 लाख के बीच हो सकती है। यह रकम लगभग रूपये 70 करोड के बराबर होगी जो कि तुलनात्मक रूप से मोटर दुर्घटना दावों में देय राशि की लगभग 3 गुना अधिक होगी।

मृत्यु अपने आपमें एक निष्ठुर अंतिमता हैं। मानव जीवन जिनका नुकसान हुआ वे कीमती थे आैर कई मायनों में वे अमूल्य थे, परन्तु कानून उस व्यक्ति की दशा को, जिसका कि जीवन दूसरों के दोषपूर्ण कार्य से नष्ट हुआ हैं, केवल उसी प्रकार से क्षतिपूर्ति कर सकता है, जिसके लिए उसके पास रास्ता है अर्थात् सर्वमान्य सिद्धान्तों पर गणना की गई मौद्रिक क्षतिपूर्ति द्वारा। घातक दुर्घटना दावों में क्षतिपूर्ति की गणना में मुख्य घटक "स्थिति/अवस्था का नुकसान" जो कि उस अवस्था को प्राप्त करने का हकदार हैं और "आश्रितता का नुकसान" का आंकलन उत्तराधिकारियों और आश्रितों को दिये जाने वाले पूंजीगत वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता हैं। परन्तु उच्च न्यायालय ने मुआवजे की रकम के आंकलन में एक उच्च मानक को अपनाया था।

जहाँ तक व्यक्तिगत चोटों के मामलों का संबंध हैं, तो करीब 30,000 मामले पूर्ण स्थायी या आंशिक अपंगता के माने गये थे। अक्षमता पूर्ण है या स्थाई है एवं उसकी श्रेणी के आधार पर प्रति व्यक्ति 02 लाख रूपये से लेकर रूपये 50,000/- तक के मुआवजे की परिकल्पना की गई थी और यह अकेला ही 250 करोड के बराबर होगा। अन्य अस्थाई पूर्ण या आंशिक अपंगता के 20,000 मामलों में मुआवजे की रकम क्षति की प्रकृति और सीमा तथा अस्थाई अक्षमता की श्रेणी और विस्तार के आधार पर 01 लाख रूपये से लेकर 25,000/-रूपये के बीच रही, जिसके अनुसार रूपये 100 करोड के और आवंटन की संभावना पर गौर किया गया। इसी प्रकार अत्यधिक गंभीर चोटों की संभावना भी हो सकती हैं, जिस स्थिति में भी प्रति व्यक्ति 04 लाख रूपयों पर विचार किया जा सकता हैं। इस तरह के लगभग 2,000 मामलों के लिए अतिरिक्त रूप से 80 करोड रूपयों की परिकल्पना की गई। ऐसी गंभीर व्यक्तिगत उपहतियां, जो कि अपने पीछे स्थायी या अस्थायी चरित्र की पूर्ण या आंशिक अक्षमता छोड जाती, के लगभग 42,000 मामलों और घातक मामलों के लिए लगभग 500 करोड रूपयों की राशि को आवंटन योग्य माना गया।

यह विचार किया गया कि, ऐसे मामलों में जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सा और पुनर्वास तथा देखभाल की जरूरत हो, उनके लिए विशिष्ट संस्थागत चिकित्सकीय उपचार हेतु कुछ व्यय करने की आवश्यकता होगी। एेसी सुविधाओ के निर्माण के लिए रूपये 25 करोड की परिकल्पना की गई।

इसके बाद भी 225 करोड रूपये और बचेंगे। यह सत्य है कि उच्च

न्यायालय ने अंतरिम मुआवजे का आंकलन करते हुए केवल स्थायी या अस्थायी अपंगता - पूर्ण या आंशिक क्षतियों के मामलों को ही ध्यान में रखा तथा अन्य दावेदारों द्वारा बडी संख्या में दायर किये गये अन्य दावों, जो कि संख्या में लाखों के बराबर होंगे, को स्वीकार नहीं किया था।

दावों के ऐसे मामले जाहिरा तौर पर, स्थायी या अस्थायी अपंगता के गंभीर मामलों से संबंधित नहीं थे, परन्तु कम गंभीर प्रकृति के मामले थे, जिनमें सम्मिलित थे मामूली चोटों के दावे, व्यक्तिगत सम्पत्ति का नुकसान, पशुओ का नुकसान आदि जिनके लिए सामान्य रूप से 225 करोड रूपयों का आवंटन किया गया था। यदि इन दावों के संबंध में प्रत्येक श्रेणी में 50,000 व्यक्तियों या दावों के लिए 20,000/-, 15,000/- और 10,000/- रूपयों को आवंटित किया जाता तो लगभग डेढ लाख और दावों के लिए आवश्यक राशि की पूर्ति रूपये 225 करोड से होगी।

एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जावे तो अगर कोरपोरेट ऋणों पर प्रचलित बाजार ब्याज दर, मान लीजिए 14 % या 14½ % के साथ 750 करोड रूपये के कोष को 08 वर्षों की अवधि में खर्च किया जाता है तो इससे प्रतिवर्ष 150 करोड प्राप्त हो सकते हैं या केवल ब्याज को ही लिया जावे तो भी साल दर साल अनन्तकाल तक 105 से 110 करोड रूपये प्रतिवर्ष पीडितों की क्षतिपूर्ति एवं राहत पर खर्च किये जा सकते हैं।

न्यायालय ने दुर्घटना दावा वाले मामलों और श्रमिक क्षतिपूर्ति कानूनों के तहत आने वाले मामलों में तुलनात्मक नुकसानी के सामान्य नियमों के बारे में भी विचार किया था। मामले में किया गया व्यापक आवंटन ऐसे दावों में दिए गए या दिये जाने योग्य से अधिक हैं। यह विभाजन केवल एक वृहद विचार है जो सामान्यतः समग्र निपटारे के आधारों की युक्तियुक्तता को निर्देशित करता हैं। यह कवायद दावेदारों के बीच मुआवजे की मात्रा का व्यक्तिगत या श्रेणीवार पूर्ण निर्धारण नहीं हैं। कोई भी व्यक्तिगत दावेदार मुआवजे की एक विशेष मात्रा का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही उसका मामला उपर उल्लेखित किसी भी व्यापक श्रेणी में आता हो। दावेदारों को देय मुआवजे की वास्तविक मात्रा का निर्धारण अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाएगा, न कि केवल मात्र राशि की पर्याप्तता के दृष्टिकोण से की गई काल्पनिक मात्राओ के संदर्भ में।

यह मात्राओ के निर्धारण में अन्तर्निहित "न्यायपूर्ण" सिद्धान्त के संबंध में वृहद एवं सामान्य धारणाएं हैं। यदि मृत्यु या स्थायी पूर्ण- आंशिक अपंगताओ या जिन्हें "विनाशकारी" उपहतियां कहा जा सकता है, के मामलों की कुल संख्या इतनी बडी दिखाई देती है कि समझौते में अन्तर्निहित

बुनियादी धारणाएं वास्तविकता से पूरी तरह से असंगत हो जाती हैं, तो निर्णय के न्याय आैर इसकी तथ्यात्मक नींव के "सत्य" का तत्व गंभीर रूप से बाधित हो जायेगा। समझौता का 'न्याय' सच्चाई के इन अनुमानों पर आधारित हैं। वास्तव में, कानूनों की व्याख्या या नीति के प्रश्नों पर या यहां तक कि उन बातों पर भी जिन्हें बुद्धिमान या मूर्खतापूर्ण माना जा सकता है, इन पर अलग-अलग राय हो सकती हैं। लेकिन जब कोई न्याय आैर सच्चाई की बात करता है तो इन शब्दों का उन सभी लोगों के लिए एक ही अर्थ होता है, जिनका निर्णय निष्पक्ष होता है। सत्य आैर न्याय के बारे में अनातोल फ्रांस ने कहा है :

> "सत्य के भीतर झूंठ या गलत से विपरीत अपने आपमें एक अज्ञात भेदक शक्ति गुजरती हैं। मैं सच कहता हूँ और आपको उसका अर्थ समझना होगा। सत्य और न्याय जैसे सुंदर शब्दों को उनके सही मायनों में समझने के लिए परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं हैं। वे स्वयं अपने भीतर एक चमकती सुंदरता और स्वर्गीय प्रकाश को रखते हैं। मैं सच्चाई आैर न्याय की जीत में दृढ विश्वास रखता हूँ। यही बात मुझे परीक्षा के समय में मजबूत बनाये रखती हैं....."

शेष प्रश्नों के बारे में यह कहा जा सकता है कि आम तौर पर तीसरी दुनिया के लिए बडी समकालीन प्रासंगिकता के कई महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धान्त और विशेष रूप से भारत के लिए बहुराष्ट्रीयों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए ऐसी खतरनाक तकनीकों के इस्तेमाल से उत्पन्न हृदयस्पर्शी समस्याएं इस मामले में पैदा हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अमीर देशों की आर्थिक ताकतों द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक शोषण के बढते आयामों से उभरने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून को नई दिशा देने के लिए इस शीर्ष न्यायालय के लिए यह खोए हुए अवसर का एक उदाहरण हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरण के महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा की तुलना में ऐसी अति-खतरनाक प्रौद्योगिकीयों के इस्तेमाल की अनुमति और ऐसे उद्यमों द्वारा नुकसान होने पर पूर्ण एवं निवारक दायित्व के सिद्धान्त के निर्धारण की कानूनी सीमाओ को दिशा देने वाला हैं। यह कहा जाता है कि सस्ते श्रम और लुभाऊ बाजारों के दोहन की संभावना ने बहुराष्ट्रीयों को इस तरह के आर्थिक दोहन के लिए विकासशील देशों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया और यह समकालीन प्रासंगिकता वाले इन महत्वपूर्ण मुद्दों से उपजे कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा के उपायों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के लिए एक उपर्युक्त मामला हैं।

ये मुद्दे और इससे भी व्यापक महत्व के कुछ सजातीय क्षेत्र और उनके कुछ पहलुओ के निर्णयात्मक स्वभाव की सीमाएं वास्तव में मौलिक महत्व के प्रश्न हैं। आधुनिक औद्योगिक प्रौद्योगिकीयों की संस्कृति, जो ऐसी घातक क्षमताओ की प्रक्रियाओ पर कायम हैं, उसने अंतिम विश्लेषण के रूप में प्रौद्योगिकी-विकल्पों के महत्वपूर्ण और मौलिक मुद्दों को खोल दिया हैं। इस तरह के शोषणकारी और खतरनाक औद्योगिक दुस्साहस के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की पर्याप्तता से जुडे प्रश्न और क्या देश के नागरिकों को एक ऐसी कानूनी प्रणाली की सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सकता है, जिसे ऐसे संदर्भों में, व्यापक अर्थों में पर्याप्त कहा जा सकता हैं। ये वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आैर यह त्रासदी और जिन परिस्थितियों ने इसे सम्भव बनाया, वे विशेष रूप से चिंता का विषय हैं।

रासायनिक कीटनाशक उद्योग एक सहवर्ती है आैर वास्तव में, रासायनिक खेती की प्रौद्योगिकी का अभिन्न अंग है। कुछ विशेषज्ञ यह सोचते हैं कि यही वह समय है जब हमें उच्च जोखिम, गहन संसाधन, उच्च निवेश, पारिस्थितिक विरोधी, एकाधिकारवादी, कठोर तकनीक, जो कि स्वयं आत्म-मुखर गुण पर पोषित हो और दूसरों को भी निर्भर बनाती हो, उससे आैर अधिक मानवीय, लचीली, पर्यावरण अनुकूल "नरम" तकनीक की आेर लौटने का समय हैं, जो कि प्रणालीगत ज्ञान और मानवीय रचनात्मकता आैर पहलु के लिए अवसर से युक्त हैं। शूमाकर कहते हैं "ज्ञान मांग करता है", विज्ञान आैर प्रौद्योगिकी के एक नए अभिविन्यास की, जो जैविक, सौम्य, अहिंसक, सुरूचीपूर्ण आैर सुंदर हो। इसी प्रकार दूसरा पक्ष इस बात पर जोर देता है कि रासायनिक खेती के इस नए युग में कृषि उत्पादन की सफलता उच्च उपज वाले उपभेदों के साथ एवं हरित क्रांति द्वारा अपनी प्रभावी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हासिल किए गए अवसर से ही हम लाखों लोगों का पेट भरने की बडी चुनौती का प्रबंध करने में सफल हुए हैं। कृषि की इस तकनीक ने रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के उद्यमों को बहुत बढावा दिया हैं। इसके आलोचकों का कहना हैं कि इससे उनकी अपनी गंभीर समस्याएं भी सामने आई हैं। वैज्ञानिकों और योजनाकारों के सामने प्रौद्योगिकी के विकल्प बडे कठिन रहे हैं।

वास्तव में आर्थिक लाभ के ऐसे अति-खतरनाक प्रयासों से राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की भी आवश्यकता है। न्यायविदों, प्रौद्योगिकीविदों और अर्थशास्त्र, पर्यावरणीकी, भविष्य विज्ञान, समाजशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों को सार्वजनिक चिंता के क्षेत्रों की पहचान कर उचित मापदण्ड विकसित करने में मदद करनी चाहिए जिन्हें न्यायिक मान्यता और कानूनी मंजूरी मिल सकती हो।

इस मामले के एक पहलू पर इस न्यायालय ने **एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ (सुप्रा)** में विचार किया था, जिसने कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण को पार किया है। परन्तु सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड के तर्कों में केवल संकेत से अधिक बढते हुए यह कहा गया कि इस मामले में केवल यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन को दिमाग में रखते हुए कानून में बदलाव किया गया और यह बदलाव इस न्यायालय में पहुंचने से पहले ही उसके नुकसान के लिए बदल दिया गया था। मेहता सिद्धान्त की आलोचना, शायद, अपकृत्य से उत्पन्न दायित्व की उभरती अभिधारणाओ की अनदेखी करना होगा, जिसका कि मुख्य ध्यान आर्थिक दुस्साहस पर सामाजिक नियंत्रण हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक सभ्य समाज अपने सदस्यों के साथ करने की अनुमति नहीं दे सकता चाहे उन्हें उनके पारिणामिक नुकसान की भरपाई की जा चुकी हो। हम **"मुआवजे के सिद्धांत", आर०ई० गुडीन : आॅक्सफोर्ड जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज, 1989 पी.57** के अंश को उद्धृत कर सकते हैं।

> "हालांकि, यह मान लेना सर्वदा गलत होगा कि हम एक समाज के रूप में लोगों के साथ, इसलिए कि हम उनके नुकसान की भरपाई करते रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड में प्रचलित नीति का एक गलत हिस्सा हैं। नीतियों का समुच्चय जिनकी ओर यह इशारा करती है - नीतियां जो कि अनुज्ञेय हैं, परन्तु केवल क्षतिपूर्ति करने पर- एक तरफ तो नीतियों का समूह जो कि 'अनुज्ञेय' है वह भी बिना किसी मुआवजे के, वहीं दूसरी ओर नीतियों का समूह जो कि 'अस्वीकार्य' हैं, चाहे वे मुआवजे के साथ ही हो।"

लेकिन, वर्तमान मामले में हमारी राय में दसियों, हजारों वेदना भुगत रहे पीडितों को तत्काल राहत की आवश्यकता की मजबूरी, उक्त प्रश्नों का, यद्यपि वे महत्वपूर्ण हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत हल हो जाने तक इंतजार नहीं कर सकती। हजारों लोगों की जबर्दस्त पीडा ने हमें तत्काल राहत की दिशा में बढने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि, हम सोचते हैं कि कानून के अनिश्चित वादों के अधीन नहीं होना चाहिए और वह भी तब जबकि राशि की उचितता का आंकलन कुछ कारकों और धारणाओ पर आधारित हो जिसे वादी द्वारा भी विवादित नहीं किया गया हो।

अन्त में कुछ शब्द। यह समझौता तात्विक बातों एवं उन परिस्थितियों में लेखबद्ध किया गया जिसने न्यायालय को विश्वास दिलाया है कि यह एक न्यायसंगत समझौता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि न्यायालय द्वारा किसी महत्वपूर्ण सामग्री या बाध्यकारी परिस्थितियों, जो कि उस पर

पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग करने का कर्तव्य अधिरोपित कर सकता हो, को बंद कर दिया हो। अन्य सभी मानवीय संस्थानों की भांति, यह न्यायालय भी सजीव एवं मानवीय दोष करने की संभावना रखता है। न्यायालय को उस विशिष्ट संदर्भ और परिस्थिति में जो भी युक्तियुक्त और न्यायसंगत प्रतीत हुआ, यह कतई आवश्यक नहीं हैं कि दूसरों को भी वह वैसा ही लगे। अंतिम विश्लेषण के रूप में कौनसा दृष्टिकोण सही है, इसका आंकलन इस बात से किया जाना चाहिए कि यह इस देश के हजारों निर्दोष नागरिकों की अनुचित पीडा को दूर करने के लिए क्या कर सकता है। जैसा कि एक विद्वान लेखक ने कहा है:

वालेस मैंडलसन : सुप्रीम कोर्ट शासन कला - विधि का शासन और व्यक्ति।

> "इस अपूर्ण कानूनी व्यवस्था में हम न्यायाधीशों से उम्मीद करते हैं कि वे प्लेटों के दार्शनिक राजा के विवेकीय न्याय की हमारी आवश्यकता का आदर कर अपने अंतहीन कार्य को समाप्त करें और विधि के शासन को बनाए रखें। न्यायाधीशों को कभी सतर्क और कभी साहसी होना चाहिए। न्यायाधीशों को अतीत की परम्पराओ और वर्तमान की सुविधा दोनों का सम्मान करना चाहिए.....।"

लेकिन अदालत के फैसलों की दिशा आंदोलन के दबावों से तय नहीं की जा सकती या उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई निर्णय गलत है तो उसमें सुधार की प्रक्रिया कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से होनी चाहिए। यहाँ कई व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता समूह, जिनमें से कुछ अलग-अलग आवाजों में हैं, पीडितों के लिए बोलने का दावा करते हैं और जिन तथ्यात्मक आरोपों पर वे अपना दृष्टिकोण रखते हैं, वे कुछ मायनों में परस्पर विरोधी हैं आैर एेसी स्थिति में सच को झूंठ से और आधे सच से अलग करना और यह भेद करना कि कौन किसके लिए बोल रहा हैं, बेहद मुश्किल हो जाता हैं।

तथापि। चाहे जैसे भी हो, उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने विधि अनुसार सुधार की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया हो, उन्हें सुना जाएगा तथा न्यायालय द्वारा वही किया जाएगा जो कि विधि एवं न्याय की प्रक्रिया के अनुरूप होगा। यह मामला बडी तादाद में मौजूद त्रासदी के पीडितों के हितों से जुडा हुआ है। इस न्यायालय ने एक सच्ची एवं सदभाविक आशा के साथ इस समझौते के लिए निर्देशित किया कि यह उन लोगों की भलाई में होगा आैर उन्हें तुरन्त राहत पहुंचाने वाला होगा, जिनमें से कईयों के लिए आने वाला कल एक बहुत बडी देरी के समान होगा। परन्तु यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं उसमें जनता के विश्वास को समान रूप से प्रभावित करता हैं। यदि, समझौते

से पूर्व कार्यवाही का, अपील में मुख्य प्रतिस्पर्धियों तक सीमित होने के कारण, कुछ विरोधाभासी या सहायक जानकारी या सामग्री का लाभ जो कि समझौते के आधार के रूप में मौलिक धारणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हो, को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हुई हो, या प्रभावित व्यक्तियों के संवैधानिक और विधिक अधिकारों का हनन हुआ हो तो यह इस न्यायालय का प्रयास रहेगा कि ऐसे किसी अन्याय को दूर किया जाए, परन्तु हम पुनः दोहराते हैं कि, यह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया द्वारा ही होना चाहिए। जो भी लोग इस न्यायालय पर भरोसा करते हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं हैं।

नोटः-

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमित दवे (आर०जे०एस०) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्धेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा आैर निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।